न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
12 / 16 / 2024	अपील इंतकाल	03.04.2024	20.08.2025

उनवान प्रकरण :–

1. राजमणि गुप्ता पत्नी स्व० श्री खैरातीलाल जाति महाजन निवासी नेहरू नगर, अलवर (राज०), हाल काश्तकार वाके ग्राम गौतोली तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा

:– **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राज०)

:– **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.टी. एक्ट के तहत विरूद्व आज्ञा तहसीलदार के द्वारा इन्तकाल सं. 1067 स्वीकार करते समय मिन अपीलान्टा का गलत रामजनी का अंकन कर निर्णय पारित किया है, बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थित :

1. **चन्द्रवीर सिंह एडवोकेट** :– **वकील अपीलान्ट**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इन्तकाल सं. 1067 में वर्णित आराजी खसरा नं. 133,134, 136 वाके ग्राम गौतोली तहसील टपूकडा की बाबत रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। जिसका अदालत श्रीमान को क्षैत्राधिकार निहित है। उक्त आलोच्य इन्तकाल सं. 1067 स्वीकार दिनांक 04.06.2018 की जानकारी दिनांक 20.03.2024 व लेने प्रमाणित नकल दिनांक 20.03.2024 से अपील हाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि " इन्तकाल सं. 1067 में वर्णित आराजी खसरा नं. 133,134, 136 वाके ग्राम गौतोली जो कि मिन अपीलान्टा के पति खैरातीलाल पुत्र श्री रामकुमार की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसके नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद रहा है। मिन अपीलान्टा का पति खैरातीलाल अपने जीवनकाल में अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करता रहा है और उसके मरने के बाद मिन अपीलान्टा व मिन अपीलान्टा के बच्चे अपने पति / पिता स्व० श्री खैरातीलाल से विरासत से मिली आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि राजस्व लोक

अदालत कैम्प में मृतक खैरातीलाल का विरासत इन्तकाल सं. 1067 तहसीलदार द्वारा दिनांक 2018-06-04 को स्वीकार कर मिन अपीलान्टा का गलत नाम रामजनी का अंकन कर दिया और इसी गलत नाम रामजनी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्टा का गलत नाम का अंकन दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने ना तो इस बाबत कोई सूचना दी और ना ही मिन अपीलान्टा को कोई नोटिस दिये। जबकि मिन अपीलान्टा का सही नाम राजमणि गुप्ता है व मिन अपीलान्टा के जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड, बैंक पासबुक में सही नाम राजमणि गुप्ता का अंकन है राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्टा का गलत नाम रामजनी का अंकन होने से मिन अपीलान्टा के हकूको पर कुठाराघात होता है। जो इन्तकाल हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। यह है कि मिन अपीलान्टा जो कि अपने मृतक पति से विरासत से मिली आराजी पर अपने बच्चो के साथ काबिज व दाखिल चली आ रही है। तथा मौके पर मिन अपीलान्टा का वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्टा को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है और ना ही मिन अपीलान्टा को उक्त आलोच्य इन्तकाल सं. 1067 स्वीकार दिनांक 04.06.2018 की कोई जानकारी रही हैं। अब मिन अपीलान्टा को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए रकम की आवश्यकता हुई तो मिन अपीलान्टा ने अपने हिस्से की भूमि को बैंक मे रहन रखकर लोन लेना चाहता और दिनांक 22.03.2024 को हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें मिन अपीलान्टा का गलत नाम रामजनी होना पाया। जिस पर इन्तकाल व अन्य दस्तावेजात एकत्रित कर कानूनी राय मशवरा कर यह अपील हाजा आप न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। समय कन्डोन करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का पेश किया जा रहा है। यह है कि अपील पर नियमानुमान कोर्ट फीस व तलबाना शुल्क अलग से चस्पा कर पेश है । यह है कि अन्य वजुआत कानूनी एवं तथ्यात्मक वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुए। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण इन्तकाल सं. 1067 वाके ग्राम गौतोली की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो संलग्न पत्रावली कि गई।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 1067 दिनांक 04.06.2018 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र खैरातीलाल प्रदर्श–2, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र प्रदर्श–3, सरपंच का प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, पासपोर्ट प्रदर्श–5 एवं बैक डायरी प्रदर्श–5 संलग्न किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्णित आराजी ग्राम गौतोली ख.न. 133,134 एवं 136 मिन अपीलान्ट के पति खैरातीलाल पुत्र श्री रामकुमार की कब्जा काश्त आराजी थी। जिनकी मृत्यु के बाद आराजी का विरासत इंतकाल राजस्व लोक अदालत कैंप में इंतकाल संख्या 1067 दिनांक 04.06.2018 को स्वीकार कर मिन अपीलान्ट का नाम रामजनी अंकन कर दिया गया। जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना तहसीलदार टपूकडा के द्वारा नही दी गई। जबकि मिन अपीलान्ट का नाम नाम जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक

पासबुक इत्यादि सभी दस्तावेजों मे सही नाम राजमणि गुप्ता का अंकन है। अपीलान्ट अपनी विरासत पर अपने बच्चों के साथ काबिज व दाखिल चली आ रही अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर न्यायालय तहसीलदार तिजारा हाल तहसील टपूकडा द्वारा पारीत इंतकाल संख्या 1067 दिनांक 04.06.2018 निरस्त कर मुताबित दस्तावेजात सही नाम राजमणि गुप्ता के नाम नामान्तकरण दर्ज व स्वीकृत कराने हेतु निवेदन किया। मियाद अधिनियम कि धारा 5 पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन कर अपील मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम दफा 5 पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक से अपील दायर करने तक विलम्ब का कारण दर्शित किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहा तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है तहसीलदार टपूकडा के द्वारा भेजे गये नामान्तकरण संख्या 1067 के अनुसार मृतक श्री खैराती लाल की विरासत श्रीमती रामजनी पत्नी श्री खैरातीलाल एवं श्री तरूण पुत्र खैरातीलाल के नाम दर्ज की गई है। अपीलान्ट द्वारा पेश सभी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मृतक की पत्नी का नाम राजमणि गुप्ता है। इस बाबत तहसीलदार टपूकडा से कराई जांच रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 के द्वारा भी स्पष्ट है कि रामजनी एवं राजमणि गुप्ता एक ही महिला है। अतः तहसीलदार टपूकडा के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1067 दर्ज करने में लिपिकिय भूल/त्रुटि हुई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 1067 दिनांक 04.06.2018 को दर्ज करने में हुई लिपिकिय त्रुटि/भूल को सुधारते हुए नामान्तकरण संख्या 1067 में दर्ज रामजनी पत्नी खैरातीलाल के स्थान पर राजमणि गुप्ता पत्नी स्व. खैराती लाल दर्ज करने हेतू विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Sumitra

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।